दावा अन्तर्गत धारा 88,53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता तकसीम

डिक्री

दिनांक :— 29/01/2026

अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 6—7 की ओर से श्री सोहन लाल सुथार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम्

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested

पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर प्रतिवादी संख्या 6–7 द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए वाद पत्र प्रतिवाद पत्र को स्वीकार किया जाकर पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता तकसीम किया जाता है–

प्रतिवादी संख्या 6–7 को प्राप्त भूमिः–चक 4 एलकेएस बी में खाता संख्या 38/41 व 39/42 में प.न. 14/274 (18) किला न. 2 ता 4/0.759, 5/0.177, 7 ता 9/0.759, 12/0.139, 13–14/0.506, 17–18/0.506, 21/0.011, 22/0.011 23/0.0125 कुल 2. 8805 हैक्टयर नहरी मय गैर मुममिन खाला का बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे। शेष खाता यथावत रखा जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक ....29/01/2026.... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:21:18 IST
Reason: SelfAttested